उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दि0 23.08.2018 को आयोजित 20 वीं बोर्ड बैठक की कार्यवृत्त

UTTARAKHAND

UEPPCB

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20 नेमी रोड़ डालनवाला
देहरादून

Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board
Head Office
Dehradun

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 20वीं बैठक का

कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 20 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.08.2018 को होटल पेसिफिक, देहरादून में **डा0 रणबीर सिंह, अध्यक्ष,उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न लिखित सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री जयराज, प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), वन विभाग, देहरादून।
2. श्री एस0पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. श्री विजय कुमार जोगडन्डे, आयुक्त, नगर निगम देहरादून।
4. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष इण्डियन इण्डस्ट्रीज ऐसोसियेसन– प्रतिनिधि उत्तराखण्ड चेम्बर आफ कामर्स।
5. श्री वी0सी0 पुरोहित, मुख्य अभियन्ता, पेयजल निगम।
6. डा0 एल0एन0 मिश्रा, ए0डी0एम0/ आयुक्त नगर निगम, हरिद्वार।
7. श्री कृष्णा कुमार मिश्रा, सचिव, एच0आर0डी0ए0 हरिद्वार।
8. श्री चन्दन सिंह, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, यू0ई0पी0पी0सी0बी, देहरादून।
9. श्री एस0एस0 पाल, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, यू0ई0पी0पी0सी0बी, देहरादून।
10. श्री एस0पी0 सिंह, पर्यावरण अभियन्ता, यू0ई0पी0पी0सी0बी, देहरादून।

सर्वप्रथम **सदस्य सचिव** द्वारा बोर्ड **अध्यक्ष** एवं सभी बोर्ड सदस्यों का स्वागत करते हुऐ **अध्यक्ष महोदय** की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कार्यसूची सं0–20.1:–बोर्ड की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना तथा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया जाना।

बोर्ड की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दुओ पर **सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड** द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड बैठक में अवगत कराया गया तथा बोर्ड द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर निर्देश के साथ बोर्ड की 19 वीं बैठक में कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया:–

बिन्दु सं0 19.1 के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पी0सी0आर0आई0 द्वारा बनायी गई फाइनल रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण अलग से बोर्ड सदस्यों की बैठक बुलाकर किया जाये।

SAWEN Consultancy Service द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट को अनुमोदन किया जाता है एवं सम्बन्धित संस्था को अनुबन्ध के अनुसार शेष धनराशि भुगतान कर दिया जाये।

कार्यसूची सं0–20.2:–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड इको टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 271/3–2 दिनांक 25 जून 2016 के क्रम में कारपोरेशन को रू0 30.00 करोड़ (रूपये तीस करोड़ मात्र) धनराशि लोन के रूप में उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

सदस्य सचिव द्वारा उत्तराखण्ड इको टूरिज्म विकास निगम, देहरादून को कोटद्वार रामनगर कंडी मार्ग के निर्माण के सरेक्षण एवं विभिन्न इको टूरिज्म सर्किट की स्थापना हेतु रू0 30.00 करोड़ की धनराशि की मांग लोन के रूप में दिये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष विभिन्न बिन्दुओं पर बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया गया विचार विर्मशोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. ईको टूरिज्म विकास कॉरपोरेशन को लोन की धनराशि उपलब्ध कराने से पूर्व Specific Terms and Conditions निर्धारित कि जाये ।
2. ईको टूरिज्म विकास कॉरपोरेशन को उपलब्ध कराये गये लोन की एवज में उनसे ब्याज नहीं लिया जायेगा।

Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board
Head Office
Dehradun

3. सावधि जमा को परिपक्वता पर इनकैश कर ईको टूरिज्म विकास कॉरपोरेशन को रू0–30.00 करोड़ की सीमा तक उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक परियोजना के आधार पर उस परियोजना के लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जाये।
4. ईको टूरिज्म विकास कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत परियोजना का परीक्षण सदस्य सचिव के स्तर से किया जाये ।
5. भविष्य में बोर्ड एवं ईको टूरिज्म विकास कॉरपोरेशन के मध्य कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उसका निवारण आई0डी0सी0 के स्तर से किया जाये।

कार्यसूची सं0–20.3:–जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अनुपालन एवं इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन से प्राप्त प्रत्यावेदन के क्रम में जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाले अस्पताल एवं परिचर्या गृहों से प्राधिकार एवं सहमति शुल्क निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

सदस्य सचिव द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अनुपालन एवं इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन से प्राप्त प्रत्यावेदन के क्रम में जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाले अस्पताल एवं परिचर्या गृहों से प्राधिकार एवं सहमति शुल्क निर्धारण करने के सम्बन्ध में बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराते हुये निम्न बिन्दुओं पर बोर्ड सदस्यों से अनुमोदन की अपेक्षा की गयी :–

1. राज्य के Health Care Facility (HCF) से प्राधिकार शुल्क एवं सहमति शुल्क को Syncronize करते हुये वर्ष–2016 से ही लिया जाये । चूंकि जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमावली 2016 में ही प्राख्यापित हुआ है। जिसके धारा–9 के अनुसार सहमति शुल्क लिया जाना अपेक्षित है। अतः सहमति शुल्क वर्ष 2016 से ही लिया जाये।
2. Health Care Facility (HCF) से प्राधिकार शुल्क शासनादेश के अनुसार ही प्राप्त किया जाये तथा सहमति शुल्क भी शयाओं के आधार पर निर्धारित किया जाये।

बोर्ड बैठक में व्यापक विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये :–

1. पूर्व की भांति का शासनादेश संख्या 1033/1(2)/व0ग्रा0वि0/2002–13(20)/2002 दिनांक 29.08.2002 के अनुसार प्राधिकार शुल्क वर्ष 2002 से ही लिया जाये परन्तु पूर्व वर्षों की प्राधिकार शुल्क की देयता में ब्याज का आंगणन न किया जाये। प्राधिकार शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:–

(अ)	**जैव चिकित्सा अपशिष्ठ जनित करने वाले अस्पताल एवं परिचर्या गृह**	**प्रथम आवेदन शुल्क**	**नवीनीकरण शुल्क**
	(1) 50 से कम बिस्तर वाले	रू0 500	रू0 500
	(2) 50 तथा उससे अधिक किन्तु 200 से कम बिस्तर वाले	रू0 1000	रू0 750
	(3) 200 और उससे अधिक किन्तु 500 से कम बिस्तर वाले	रू0 5000	रू0 3500
	(4) 500 और उससे अधिक बिस्तर वाले	रू0 7000	रू0 4500
(ब)	जैव चिकित्सा अपशिष्ठ निपटान हेतु सामुहिक सुविधा वाले संघ	रू0 1500	रू0 700
(स)	जैव चिकित्सा अपशिष्ठ जनित करने वाले अन्य संस्थान जो उपरोक्त "अ" एवं "ब" में सम्मिलित नहीं है।	रू0 1500	रू0 700

2. सहमति शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार है। जिसे वर्ष 2016 से लिया जाये। 31.03.2019 तक सहमति शुल्क में भी ब्याज का आंगणन न किया जाये।

क्र. स.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाले **Health Care Facility (HCF)**	सहमति शुल्क	
		प्रथम आवेदन शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
1	50 से कम बिस्तर वाले	रू0 1500	रू0 1000
2	50 तथा उससे अधिक किन्तु 200 से कम बिस्तर वाले	रू0 2500	रू0 2000
3	200 और उससे किन्तु 500 से कम बिस्तर वाले	रू0 7500	रू0 5000
4	500 और उससे अधिक बिस्तर वाले	रू0 10000	रू0 7500
5	जैव चिकित्सा अपशिष्ठ निपटान हेतु सामुहिक सुविधा वाले संघ	रू0 2500	रू0 2000
6	जैव चिकित्सा अपशिष्ठ जनित करने वाले अन्य संस्थान जो उपरोक्त 1 से 5 में सम्मिलित नहीं हैं	रू0 2000	रू0 1000

3. 01.04.2019 से 31.03.2020 तथा 31.03.2020 के उपरान्त प्रत्येक वर्ष के लिये प्रस्तावित विलम्ब शुल्क का भी अनुमोदन किया गया। जो कि निम्नानुसार है–

क्र. स.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाले **HCF**	विलम्ब शुल्क	
		01.04.2019 से 31.03.2020 तक	31.03.2020 के उपरान्त प्रत्येक वर्ष के लिये
1	50 से कम बिस्तर वाले	रू0 2500	रू0 5000
2	50 तथा उससे अधिक किन्तु 200 से कम बिस्तर वाले	रू0 5000	रू0 10000
3	200 और उससे किन्तु 500 से कम बिस्तर वाले	रू0 10000	रू0 15000
4	500 और उससे अधिक बिस्तर वाले	रू0 15000	रू0 20000
5	जैव चिकित्सा अपशिष्ठ निपटान हेतु सामुहिक सुविधा वाले संघ	रू0 5000	रू0 10000
6	जैव चिकित्सा अपशिष्ठ जनित करने वाले अन्य संस्थान जो उपरोक्त 1 से 5 में सम्मिलित नहीं हैं	रू0 4000	रू0 7500

कार्यसूची सं0–20.4:–पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित विभिन्न नियम के अन्तर्गत पंजीकरण शुल्क के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित विभिन्न नियमों यथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन नियमावली, बैट्री प्रबंधन एवं हथालन नियमावली आदि के अन्तर्गत शुल्क का आंगणन निम्नानुसार किया जाये।

Head Office Dehradun Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board

क्र. स.	परियोजना की लागत	वार्षिक शुल्क
1	रू0 5 करोड़ से कम	रू0 5000/–
2	रू0 5 करोड से 50 करोड़ तक	रू0 10,000/–
3	रू0 50 करोड़ से अधिक	रू0 20,000/–

कार्यसूची सं0–20.5:–उत्तराखण्ड राज्य में संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (CETP) के अतर्गम क्वालिटी मानक (Inlet Quality Standard) के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया जिसमें संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) हरिद्वार हेतु प्रस्तावित Inlet Standard Quality को भी सम्मलित किया गया। संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र हरिद्वार, पंतनगर एवं सितारगंज हेतु निर्धारित मानक निम्नानुसार होगें

Inlet effluent quality standards for CETP, IIE, Ranipur, Haridwar, Distt. Haridwar

S.N.	Parameters	Concentration (Maximum)
1.	pH	5.5 – 9.0
2.	BOD	500 mg/L
3.	COD	900 mg/L
4.	Total Dissolved Solids (TDS)	2100 mg/L
5.	Total Suspended Solids (TSS)	1500 mg/L
6.	Oil & Grease	20 mg/L
7.	Phenolic Compounds (as C_6H_5OH)	5.0 mg/L
8.	Ammonical Nitrogen (as N)	50.0 mg/L
9.	Cynide (as CN)	2.0 mg/L
10.	Hexavalent Chromium (as Cr^{+6})	2.0 mg/L
11.	Total Chromium (as Cr)	2.0 mg/L
12.	Copper (as Cu)	3.0 mg/L
13.	Lead (as Pb)	1.0 mg/L
14.	Nickel (as Ni)	3.0 mg/L
15.	Zinc (as Zn)	15.0 mg/L
16.	Arsenic (as As)	0.2 mg/L
17.	Mercury (as Hg)	0.01 mg/L
18.	Cadmium (as Cd)	1.0 mg/L
19.	Selenium (as Se)	0.05 mg/L
20.	Fluoride (as F)	15.0 mg/L
21	Boron (as B)	2.0 mg/L
	Radio Active Materials	
22.	Alpha Emitters, micro curie/mL	10^{-7}
23.	Beta Emitters, micro curie/mL	10^{-8}

Inlet effluent quality standards for CETP, ESIP, Sitarganj, Distt. US Nagar

S.N.	Parameters	Concentration (Maximum)
1.	pH	5.5 – 9.0
2.	BOD	550 mg/L
3.	COD	1100 mg/L
4.	Total Dissolved Solids (TDS)	2100 mg/L
5.	Total Suspended Solids (TSS)	1500 mg/L
6.	Oil & Grease	20 mg/L
7.	Phenolic Compounds (as C_6H_5OH)	5.0 mg/L
8.	Ammonical Nitrogen (as N)	50.0 mg/L
9.	Cynide (as CN)	2.0 mg/L

Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board, Head Office Dehradun

10.	Hexavalent Chromium (as Cr^{+6})	2.0 mg/L
11.	Total Chromium (as Cr)	2.0 mg/L
12.	Copper (as Cu)	3.0 mg/L
13.	Lead (as Pb)	1.0 mg/L
14.	Nickel (as Ni)	3.0 mg/L
15.	Zinc (as Zn)	15.0 mg/L
16.	Arsenic (as As)	0.2 mg/L
17.	Mercury (as Hg)	0.01 mg/L
18.	Cadmium (as Cd)	1.0 mg/L
19.	Selenium (as Se)	0.05 mg/L
20.	Fluoride (as F)	15.0 mg/L
21	Boron (as B)	2.0 mg/L
	Radio Active Materials	
22.	Alpha Emitters, micro curie/mL	10^{-7}
23.	Beta Emitters, micro curie/mL	10^{-8}

1. To achieve above limit, individual contributing units are required to pre-treat their wastewater/effluent before discharging to common conveyance system. All contributing industries shall ensure compliance of above limits with immediate effect.
2. The operator of CETP, Sitarganj shall conduct the study in consultation with technical organization for upper limit of inlet Ammonical Nitrogen (above 50 mg/L).
3. CETP outlet quality standards shall be as per treated effluent quality standards notified under the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended 01.01.2016.

Inlet effluent quality standards for CETP, IIE, Pantnagar, Distt. US Nagar

S.N.	Parameters	Concentration (Maximum)
1.	pH	5.5 – 9.0
2.	BOD	550 mg/L
3.	COD	1100 mg/L
4.	Total Dissolved Solids (TDS)	2100 mg/L
5.	Total Suspended Solids (TSS)	1500 mg/L
6.	Oil & Grease	20 mg/L
7.	Phenolic Compounds (as C_6H_5OH)	5.0 mg/L
8.	Ammonical Nitrogen (as N)	50.0 mg/L
9.	Cynide (as CN)	2.0 mg/L
10.	Hexavalent Chromium (as Cr^{+6})	2.0 mg/L
11.	Total Chromium (as Cr)	2.0 mg/L
12.	Copper (as Cu)	3.0 mg/L
13.	Lead (as Pb)	1.0 mg/L
14.	Nickel (as Ni)	3.0 mg/L
15.	Zinc (as Zn)	15.0 mg/L
16.	Arsenic (as As)	0.2 mg/L
17.	Mercury (as Hg)	0.01 mg/L
18.	Cadmium (as Cd)	1.0 mg/L
19.	Selenium (as Se)	0.05 mg/L
20.	Fluoride (as F)	15.0 mg/L
21	Boron (as B)	2.0 mg/L
	Radio Active Materials	
22.	Alpha Emitters, micro curie/mL	10^{-7}
23.	Beta Emitters, micro curie/mL	10^{-8}

Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board
Head Office
Dehradun

1. To achieve above limit, individual contributing units are required to pre-treat their wastewater/effluent before discharging to common conveyance system. All contributing industries shall ensure compliance of above limits with immediate effect.
2. CETP outlet quality standards shall be as per treated effluent quality standards notified under the Environment (Protection) Rules, 1986 as amended 01.01.2016.

इसके साथ–साथ बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया, कि यह मानक केवल उद्योगों के लिये उस समय लागू होगा, जिस समय सी0ई0टी0पी0 का संचालन पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हो। सी0ई0टी0पी0 का संचालन पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप न पाये जाने की स्थिति में उद्योगों को भारत सरकार द्वारा सी0ई0टी0पी0 हेतु प्रख्यापित ऑउटलेट पैरामीटर के मानकों को प्राप्त करना होगा।

कार्यसूची सं0–20.6:–बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के पुनरूद्वार/मरम्मत एवं कार्यालय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर बोर्ड बैठक में क्षेत्रीय कार्यालयों के पुनरूद्वार/मरम्मत एवं कार्यालय भवन के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी एवं यह निर्देश दिया गया, कि क्षेत्रीय कार्यालयों के पुनरूद्वार/मरम्मत एवं कार्यालय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में Detailed Project Report तैयार कर अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाये व अग्रिम कार्यवाही किया जाये।

कार्यसूची सं0–20.7, 20.8, 20.9, 20.10 के सम्बन्ध में समयभाव में चर्चा नहीं हो सकी अतः निर्णय लिया गया, कि उपरोक्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाये।

कार्यसूची सं0–20.11 :– उत्तराखण्ड पर्यादरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तकनीकी परामर्श दाती समिति (Technical Advisory Committee) के गठन के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं यह निर्देश दिया गया, कि TAC में राज्य में स्थापित उद्योगों में से विषय विशेषज्ञ को भी सम्मिलित किया जाये। TAC में सदस्यों का चयन अध्यक्ष, राज्य बोर्ड के अनुमोदन से ही किया जाये।

अनुपूरक कार्यसूची सं0–1, 2 एवं 3 के सम्बन्ध में समयभाव में चर्चा नहीं हो सकी। अतः निर्णय लिया गया, कि उपरोक्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाये।

अन्त में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यो का आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय की सहमति से बैठक का समापन किया गया।

10/12/2018

(एस0पी0सुबुद्धि)
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

(डा0 रणवीर सिंह)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board
Head Office
Dehradun